



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :126 /2024

निर्णय दिनांक : 07/06/2024

1. रामप्रसाद पुत्र रामेश्वर
2. गजानन्द पुत्र रामेश्वर
3. नैनादेवी पत्नि रामेश्वर
4. किशनलाल पुत्र बजरंगलाल उर्फ बजरंगा
5. ग्यारसीलाल पुत्र बजरंगलाल उर्फ बजरंगा
6. रूपनारायण पुत्र बजरंगलाल उर्फ बजरंगा
7. भगवानसहाय पुत्र रामदेवी
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल
9. लोकेश पुत्र रामगोपाल
10. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल
11. शान्ति देवी पत्नि रामगोपाल

समस्त जाजि ब्राह्मण निवासी गंवार ब्राह्मणान, तह0 सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ।  
प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
2. गोपाल पुत्र रामेश्वर
3. बादूराम पुत्र रामेश्वर
4. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर
5. शंकरलाल पुत्र रामेश्वर
6. श्रीराम पुत्र रामेश्वर
7. सीताराम पुत्र नारायण

समस्त जाजि ब्राह्मण निवासी गंवार ब्राह्मणान, तह0 सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ।  
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।  
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का पेश किया। राजस्व ग्राम गंवार बाह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० की सहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 1.50 हेक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 157 पुराना 140 के अन्तर्गत अन्य खसरान् की भूमि सहित उपरोक्त वर्णित दोनों खसरान् की खातेदारी प्रार्थीगण व अन्य सह-खातेदारान् के नाम से टर्ज रिकार्ड चली आ रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वर्णित दोनों खसरान् की भूमि का रिकार्डेड सह-खातेदार व जौके पर काबिज काश्तकार है। यह कि राजस्व ग्राम गंवार ब्राह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० की सहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.46 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.40 हेक्टेयर खसरा नम्बर 35 रकबा 0.44 हेक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नचा 284 पुराना 273 के अन्तर्गत अन्य खसरान् की भूमि सहित उपरोक्त वर्णित दोनों खसरान् की खातेदारी अर्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 आपस में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियो के सीमा लगवां पड़ौसी है। अप्रार्थीगण की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि पर नाजायज कब्जा/अतिक्रमण करना चाहता है। तथा प्रार्थीगण की भूमि दबाने के लिये प्रयासरत है इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः अनुतोष:-

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व ग्राम गंवार ब्राह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० की सहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.26 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.23 हेक्टेयर, ससरा नम्बर 685 रकबा 1.50 हेक्टेयर स्थित तथा प्रार्थना पत्र मद संख्या 2 में वर्णित अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम गंवार ब्राह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० की सहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.46 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.40 हेक्टेयर खसरा नम्बर 35 रकबा 0.44 हेक्टेयर की सीमा पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2020 व सुपर इम्पोज रिपोर्ट के अनुसरण में जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करावाये जाने के आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपस्थित।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता प्रार्थीगण की भूमि राजस्व ग्राम गंवार ब्राह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० की सहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.26 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.23 हेक्टेयर, ससरा नम्बर 685 रकबा 1.50 हेक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2020 व सुपर इम्पोज रिपोर्ट के अनुसरण में जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करावाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण ने भी अपनी भूमि का राजस्व ग्राम गंवार ब्राह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० की सहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.46 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.40 हेक्टेयर खसरा नम्बर 35 रकबा 0.44 हेक्टेयर की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। दौराने पत्रावली अवलोकन प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान हो

उपस्थित अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्र


र

लिखित  
रके हेतु

६

रखा है लेकिन अप्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान नहीं हो रखा है। तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अप्रार्थीगण से सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर अप्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीगण की उपस्थित में करे एवं उभयपक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की वाके ग्राम गंवार बाह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 1.50 हैक्टेयर की पत्थरगढी तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2020 के अनुसार की जावे, एवं अप्रार्थीगण की वाके ग्राम गंवार बाह्मणान, पटवार हल्का खेड़ी गोकुलपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० में स्थित खसरा नम्बर 82 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 35 रकबा 0.44 हैक्टेयर की पत्थरगढी नियमानुसार अप्रार्थीगण की ओर से पेश सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार की जावे। दौराने पत्थरगढी काननू व्यवस्था को ध्यान रखा जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(हिमांत सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर)  
.जयपुर



प्र

msr

मलिनित  
सके हेतु

र